www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 5 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

भाषा विचार का वस्त्र है

बड़े फैसले का इंतजार

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा प्रबंध बढ़ाए जाने और घाटी गए पर्यटकों और अमरनाथ श्रद्धालुओं को तुरंत लौटने का निर्देश देने के बाद से तरह-तरह की अटकलों का दौर जारी है। कश्मीर में चौकसी बढ़ाए जाने का एक कारण यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान वहां नए सिरे से कोई बड़ी खुराफात करने की तैयारी में है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीमा पर गतिविधियां तेज होने के साथ ही आतंकियों की घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान कुछ भी कह रहा हो उस पर तनिक भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ कश्मीर में उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर संभव कड़े कदम भी उठाए जाने चाहिए। इस मामले में मोदी सरकार के इरादों को लेकर किसी को कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। समझना कठिन है कि राज्य में सुरक्षा मोर्चे को मजबूत किए जाने से कश्मीरी नेता परेशान क्यों हैं? उनकी ओर से ऐसा माहौल बनाया जाना ठीक नहीं कि कश्मीर पर केंद्र सरकार के संभावित कदम घाटी की जनता के लिए अहितकारी हो सकते हैं। इससे खराब बात यह है कि वे यह भी प्रतीति कराने में लगे हुए हैं कि कश्मीर का हित राष्ट्रहित से अलग है। यह ठीक मानसिकता नहीं और इसका उपचार किया ही जाना चाहिए।

कश्मीर के एक वर्ग में खुद को देश से अलग और विशिष्ट मानने की जो मानसिकता पनपी है उसकी एक बड़ी वजह अनुच्छेद 370 है। यह अलगाववाद को पोषित करने के साथ ही कश्मीर के विकास में बाधक भी है। इसी कारण अनुच्छेद 370 का शुरू से ही विरोध होता चला आ रहा है। कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 35-ए भी निरा विभेदकारी है। इन दोनों अनुच्छेदों पर कोई ठोस फैसला लिया ही जाना चाहिए। या तो इन्हें हटाया जाए या फिर संशोधन के जरिये उनकी विसंगतियों को दूर किया जाए। इसका कोई औचित्य नहीं कि ये दोनों अनुच्छेद कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने और साथ ही वहां समुचित विकास करने में बाधक बने रहें। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के नेता चाहे जितना शोर मचाएं, कश्मीरी जनता को यह पता होना चाहिए कि ये दोनों अनुच्छेद उनके लिए हितकारी साबित नहीं हुए हैं। यदि इन अनुच्छेदों से किसी का भला हुआ है तो चंद नेताओं का और यही कारण है कि वे इस आशंका से दुबले हुए जा रहे हैं कि कहीं मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को परिवर्तित न कर दे। पता नहीं मोदी सरकार के एजेंडे में क्या है, लेकिन उसे यह समझना ही होगा कि कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला करने का समय आ चुका है।

सबक नहीं ले रही पुलिस

बिहार के थाने शराबबंदी के लिए कैसे काम कर रहे हैं, इसका एक और उदाहरण सीतामढ़ी में दिखा है। सीतामढ़ी नगर थाने के मालखाने और अन्य तीन कमरों को तोड़ कर जब्त शराब, नष्ट शराब, शराबबंदी के बाद दर्ज शराब से जुड़े मामलों की जांच की गई तो पता चला कि किसी का कोई हिसाब ही नहीं है। कहां छापेमारी हुई, कितनी शराब मिली, कितनी नष्ट हुई, इसका कोई लेखाजोखा नहीं था। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब्त शराब पीने, बेचने और बांटने जैसे काम थाने से हो रहे थे। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी यहां थानेदार थे। उनसे और अन्य पुलिस वालों से पूछताछ की गई तो गड़बड़ी खुलती चली गई। इस बीच मौका पाकर थानेदार भाग निकले। राज्य के किसी थाने से थानेदार के भाग निकलने का यह पहला वाकया नहीं है। शराब पीने और शराब के धंधेबाजों से गहरा रिश्ता रखने वाले कई थानेदार और दारोगा इस तरह का काम कर चुके हैं। पटना के कई थाने के सभी पुलिस वाले शराब माफिया से गठजोड़ में फंसकर नौकरी गंवा चुके हैं। अब सीतामढ़ी की बारी है। वहां के नगर थाने की पूरी टीम को हटाने की तैयारी की जा रही है। बिहार में सड़क दुर्घटना से लेकर बीमारी और आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देने वाली शराब के खिलाफ सरकार की मुहिम एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न सिर्फ इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, बल्कि खुद इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। लोगों को समझा भी रहे हैं और इसके दुष्परिणाम के बारे में भी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि शराब के धंधे में अफसर संलिप्त मिले तो उन पर इतनी धाराएं लगाई जाएं कि वे बाहर नहीं निकल पाएं। कार्रवाई हुई भी है, लेकिन लगता है कि पुलिस वाले सबक नहीं ले पा रहे हैं। सीतामढ़ी कांड को सामने रखकर इस संबंध में और कड़ी कार्रवाई अपेक्षित है। इससे वैसे लोगों का मनोबल टूटेगा और डर पैदा होगा, जो समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक अभियान को फेल करने की कोशिश में लगे हैं।

शराब माफिया से मिलीभगत में पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई हो रही, लेकिन लगता है पुलिस महकमा सबक नहीं ले पा रहा। पूरे बिहार में 300 से अधिक थानेदार दागदार होने की वजह से बदले गए हैं

सार्थक संवाद का अभाव

हृदयनारायण दीक्षित

श्रीराम जन्मभूमि को लेकर शीर्ष अदालत ने संवाद का अंतिम अवसर दिया, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। यदि इससे हल निकलता तो सभी पक्ष प्रसन्न होते

अस्तित्व सत्य है। सत्य अस्तित्व का रस है। सत्य का रस वाणी है। वाणी का रस संवाद है। संवाद वाणी का छंद है। संवाद सत्य प्राप्ति का अधिष्ठान है। संवाद ही निष्कर्ष तक ले जाने वाला माध्यम है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को लेकर वास्तविक संवाद नहीं हुआ। बाबर द्वारा मंदिर गिरवाने के समय से संघर्ष है। 1992 की घटना आहत मन का परिणाम थी। एएसआइ की खोदाई से प्राप्त तमाम तथ्यों के बावजूद दुराग्रह रहा। कुछ समय पहले न्यायालय ने परस्पर संवाद का अंतिम अवसर दिया, लेकिन संवाद नहीं हुआ। संवाद से हल निकलता तो सभी पक्ष प्रसन्न होते। दुराग्रही वाद वास्तविक समाधान नहीं देते। वाद हमेशा एक पक्ष होता है और विवाद वाद का ही दूसरा पक्ष। प्रख्यात दार्शनिक डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन में 'वाद' के सत्य से भटक जाने का उल्लेख किया है, 'यह प्रायः बिगड़कर जल्प (आधारहीन) के रूप में बदल जाता है। इसका लक्ष्य जीतना हो जाता है। तब यह 'वितंडा' कहलाता है।' 'वाद-विवाद' स्वपक्षीय आग्रह होते हैं और संवाद सर्वमान्य यथार्थ तक ले जाने वाली तीर्थ यात्रा है।

संवाद सभ्यता का पैमाना है। तनावग्रस्त विश्व में सभ्यताओं के मध्य भी संवाद की दरकार है। अमेरिकी विचारक सैमुअल हंटिंगटन ने 'क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन' में सभ्यताओं के संघर्ष की आशंका जताई थी। इस्लामी स्टेट का रक्तपात प्रत्यक्ष है। 'आस्था और विश्वास' से भी संवाद का समय आ गया है। दुनिया का बड़ा भाग पंथ विश्वासी है। भारतीय दर्शन और संस्कृति सत्य खोजी हैं। भारत में संवाद की अति प्राचीन परंपरा है। ऋग्वेद का यम यमी संवाद तत्कालीन समाज के आदर्श व मानवीय कमजोरियों का चित्रण है। विश्वामित्र का नदी संवाद सुंदर भावाभिव्यक्ति है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचना हैं। प्रश्नोपनिषद छह जिज्ञासुओं व पिप्पलाद ऋषि के मध्य हुआ संवाद है। वृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के साथ जनक, शाकल्य, मैत्रेयी, गार्गी आदि के संवाद पठनीय हैं। छांदोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु व उसके पिता के संवाद सहित ढेर सारे संवाद हैं। कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद में आस्था पर भी तर्क हैं। महाभारत संवादों से भरीपूरी है जिसमें समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र व ब्रह्मांड विज्ञान के महत्वपूर्ण विवरण हैं।

भारत में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में संवाद था। संवाद ज्ञान का उपकरण था। उसे व्यवस्थित करने वाले नियम भी थे। यहां लोकप्रिय आठों दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत व बौद्ध, जैन में लगभग एकसमान तर्क पद्धति है। डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार गौतम का 'न्याय दर्शन' संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की विस्तृत व्याख्या करता है। न्याय शब्द का अर्थ निष्कर्ष तक पहुंचाने वाली गतिविधि है। निष्कर्ष के लिए संवाद विधि का पालन जरूरी था। संवाद कर्म के लिए न्याय दर्शन की सूची में प्रमाण, प्रमेय अर्थात ज्ञान के विषय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, मान्य सिद्धांत, विषय के अवयव या घटक, तर्क अर्थात अप्रत्यक्ष प्रमाण व निर्णय सहित प्रमुख नौ विषय हैं। इसके अलावा 'वाद, निराधार कथन, वितंडा, हेत्वाभास अर्थात दोषपूर्ण उदाहरण, छल, निरर्थक आपत्तियां और दोषारोपण सहित सात रोचक निषेध तत्व भी हैं। यहां संपूर्ण संवाद विज्ञान है। वादी प्रतिवादी के प्रति आदर भाव की अनिवार्यता है। संवाद में आस्था पर भी तर्क हैं। न्याय दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम विषय की स्थापना फिर विवेचन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा होनी चाहिए। न्याय भाष्य में 'किसी पदार्थ को समान सादृश्यों वाले पदार्थों से भिन्न दिखाना परिभाषा' बताया गया है। जर्मन दार्शनिक वाल्टेयर ने भी कहा है कि 'मैं संवाद को तैयार हूं, लेकिन पहले तुम अपने शब्दों की परिभाषा करो।'

संवाद का प्रभाव सर्वव्यापी है। संवाद के अभाव की परिणिति अराजकता में होती है। रामकथा में अंगद-रावण संवाद है। संवाद असफल हुआ तो युद्ध। प्राक्भारतीय साहित्य के सैकड़ों प्रसंगों में उमा और शिव परस्पर संवादरत हैं। संवाद में 'प्रमाण' का शीर्ष महत्व है। महाभारत में नारद को तर्क संवाद का विशेषज्ञ कहा गया है। नारद प्रमाण के आधार पर ही निष्कर्ष निकालते थे। भारत में नाट्यकला के आविष्कारक भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाटक का प्राण तत्व संवाद हैं। शेक्सपियर के नाटकों के पात्र प्रभावी संवादी हैं। राजनीति संवाद का ही लोकमत निर्माण क्षेत्र है, लेकिन राजनीति में संवाद की जगह कटुतापूर्ण वाद-विवाद हैं। संवाद शून्य है। मोनोलाग या स्वकथन ज्यादा हैं।

अवधेश राजपूत

यूनानी दर्शन संवादी है। अरस्तू ने कहा था कि 'कुछ व्यक्ति विषय के एक पहलू को देखते हैं और अन्य दूसरे पहलू को, लेकिन सब मिलकर सभी पहलुओं को देख सकते हैं।' अरस्तू ने संवाद के तत्वों को नियमबद्ध किया था। सुकरात सत्य के अन्वेषण के लिए वाद, विवाद और संवाद का सदुपयोग करते थे। अरस्तू की दो पुस्तकें 'टॉपिक्स' और 'सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशंस' संवाद शास्त्र की अप्रतिम अभिव्यक्ति हैं। भारत में बहुत पहले ही संवाद अनुशासन के तत्वों की सूची का विकास हुआ था। न्याय दर्शन व वैशेषिक दर्शन में संवाद के सभी पहलुओं का विवेचन है। आयुर्विज्ञान का विकास व्यापक संवाद से हुआ। आयुर्वेद के दो बड़े ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में संवाद नियमों का विस्तृत उल्लेख है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में संवाद के 32 पारिभाषिक शब्दों की सूची दी है। संवाद के सुनिश्चित नियमों के कारण प्राचीन विद्वानों ने संवाद विज्ञान को वेद की संज्ञा दी थी।

आचार्य शंकर दुनिया के सबसे बड़े संवादी थे। उन्होंने ज्ञान के तीन स्रोत बताए। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा प्राचीन सिद्ध कथन। संवाद के यही मूलाधार हैं। वह अद्वैत वेदांती दार्शनिक थे। तमाम द्वैतवादी विद्वानों से उनका संवाद हुआ। मंडन मिश्र के साथ उनके संवाद की लोककथा है। मंडन ने संवाद में पराजय मानी। उनकी पत्नी भारती ने मोर्चा संभाला। भारती ने स्त्री विषयक प्रश्न पूछा। शंकराचार्य ने उत्तर के लिए समय मांगा। सही बात है। प्रामाणिक जानकारी के बिना संवाद का क्या अर्थ? उन्होंने सम्यक अध्ययन व जानकारी के बाद ही उत्तर दिया। संसद व विधानमंडल वाद-विवाद संवाद की संवैधानिक संस्थाएं हैं। लोकसभा में बीते बीसेक साल से शोरगुल और हुल्लड़ ने प्रेमपूर्ण संवाद को बाहर कर दिया। संप्रति वाद-विवाद के साथ संवाद की भी आशाप्रद स्थिति है तो भी विधानमंडलों की स्थिति निराशाजनक है। टीवी चैनलों की बहसों में भी आरोप-प्रत्यारोप का शोर है। जोर से बोलने और चिल्लाने की प्रतिस्पर्धा है। संवाद का अता-पता नहीं। संवाद की महत्ता स्वयं सिद्ध है। संवाद से सभ्यता है, संवाद से संस्कृति है और संवाद में ही भारत के आनंदमगन होने की नियति है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

पैरों तले जमीन की तलाश

तसलीमा नसरीन

अमेरिका, यूरोप में बसने के विकल्प के बावजूद मैंने भारत को इसलिए चुना क्योंकि यह मुझे अपने देश जैसा लगता है

तकरीबन 25 साल पहले मुझे मेरे मुल्क बांग्लादेश से मेरी ही सरकार ने बाहर कर दिया था। क्या मैंने चोरी, डकैती, कत्ल, दुष्कर्म या कोई अपराध किया था? नहीं। मैंने सिर्फ किताबें लिखीं। उन किताबों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मानवता, मानवाधिकार और नारी के समान अधिकारी होने की बातें लिखी थीं। हर तरह की विषमताओं, अन्याय और अत्याचार मुक्त, समता युक्त समाज का सपना देखा था। 25 साल में कई बार मेरे देश में सरकारें बदलीं, लेकिन किसी भी सरकार ने मुझे मेरे वतन लौटने नहीं दिया। क्यों लौटने नहीं दिया, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं?

इस 25 साल के निर्वासन का एक युग यूरोप और अमेरिका में बीता, लेकिन देश लौटने की उत्कंठा तीव्र थी इसलिए अपने देश के दरवाजे बंद होने के बावजूद बंगभूमि के रंग-रूप, गंध एवं स्वाद की तलाश में भारत के पश्चिम बंगाल आना-जाना शुरू किया। बांग्ला भाषा एवं बांग्ला संस्कृति के परिवेश को बांग्लादेश से बाहर फिर से जीने के लिए पश्चिम बंगाल को ही अपना घर बना लिया। टूरिस्ट वीजा पर तो रहना संभव नहीं था इसलिए कुछ दिन स्थायी रूप से रहने के लिए भारत सरकार से रेजिडेंट परमिट मिल गया। इसकी मियाद खत्म होने पर इसे बढ़ा दिया जाता है। भारत में 2004 से रहना शुरू किया। शुरुआत में मेरा परमिट पांच-पांच महीने पर बढ़ाया जाता था। 2008 से यह एक साल के लिए मिलने लगा, लेकिन हर साल की परेशानी से मुक्ति के लिए पांच या 10 साल का परमिट मिल जाता तो अच्छा था। ऐसे कई विदेशी नागरिक हैं, जो भारत में लंबी अवधि का रेजिडेंशियल परमिट लेकर रह रहे हैं।

वाममोर्चा ने जब मौलवियों को खुश करने के लिए मुझे 2007 में पश्चिम बंगाल से निकाल दिया था तब केंद्र की संप्रग सरकार ने मुझे दिल्ली में गृहबंदी बनाकर लगातार दबाव बनाया और 2008 में भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया। तब मेरा रेजिडेंशियल परमिट 2011 तक बढ़ाया गया, लेकिन मुझे भारत में रहने नहीं दिया गया। तब कई लोगों ने मुझसे कहा था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद आपको परमिट के लिए कोई समस्या नहीं होगी। नागरिकता भी मिल सकती है। मैं कोलकाता में भी रह सकती हूं। मैंने भी वही सोचा था, लेकिन 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई और मेरा रेजिडेंशियल परमिट एक साल से घटाकर दो महीने कर दिया गया तब मुझे लगा कि मैं आसमान से गिरी हूं। 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मेरे परमिट को फिर एक साल से घटाकर तीन महीने कर दिया गया, जिसे बाद में एक साल किया गया।

मुझे आज भी याद है। पश्चिम बंगाल से जब मुझे भगाया गया था तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर वे तसलीमा को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं तो तसलीमा को गुजरात भेज दें। मैं उन्हें सुरक्षा दूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान कोलकाता में मंच से उन्होंने पूछा था कि माकपा के सत्ता से जाने के बाद और तृणमूल की सरकार बनने के बाद भी क्यों मुझे कोलकाता नहीं लौटने दिया जा रहा है? भारत में मोदी जी की तरह ऐसे बहुत कम राजनेता हैं, जिन्होंने डंके की चोट पर मेरा समर्थन किया है। राजनीतिक तौर पर संपूर्ण निरपेक्ष रहने वाली मेरे जैसी निर्वासित साहित्यकार और धर्मनिरपेक्ष लेखिका को बिना शर्त समर्थन करने के लिए मैं हमेशा मोदी जी की कृतज्ञ रही हूं। उनके सत्ता में आने के बाद लगा था कि मुझे साल दर साल परमिट लेने से मुक्ति मिल जाएगी। भारत में स्थायी रूप से रहने की अनुमति मिल जाएगी। निश्चिंत होकर अपनी बाकी निर्वासित जिंदगी सिर्फ साहित्य रचना में लगाऊंगी, लेकिन मेरी समस्या जस की तस है। मैं कोई अपराध तो नहीं कर रही। अपनी लेखनी से इस समाज में बच्चियों को शिक्षित और सचेतन होने की प्रेरणा देती हूं।

स्वीडन की नागरिक होने के बावजूद, यूरोपियन यूनियन से जुड़ाव, अमेरिका की स्थायी निवासी होने के बावजूद मैंने रहने के लिए भारत का चुनाव किया है, क्योंकि भारत में एक भाषा ऐसी है जो मेरी मातृभाषा है, जिसमें मैं खुद को अभिव्यक्त करती हूं, लिखती हूं, सोचती हूं और स्वप्न देखती हूं। भारत मुझे मेरे देश जैसा लगता है। इस उपमहाद्वीप में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां मैं निवास कर सकती हूं। इस उपमहाद्वीप में रहने वाले अधिकतर लोग यूरोप और अमेरिका में रहने के लिए लालायित हैं और मैंने इस देश के प्यार में यूरोप और अमेरिका का त्याग किया है। विदेश की धरती पर मिलने वाले यश, ख्याति और सुरक्षा को तुच्छ समझते हुए मैंने भारत में मेरे लिए मौजूद अनिश्चितता के माहौल का चयन किया है। अभी भी कई बार मुझे चौंक जाना पड़ता है, जब मेरा परमिट अचानक से घटा दिया जाता है। घटते-घटते कहीं यह मेरे लिए खत्म न हो जाए, यह चिंता बनी रहती है।

कइयों को लगता है कि मैं यहां भारत सरकार की मेहमान हूं, लेकिन वे गलत समझते हैं। मैं यहां अपने पैसे से रहती, खाती और पहनती हूं। मैं एकदम आम नागरिक की तरह साधारण जीवनयापन करती हूं। साधारण लोगों के साथ रहती हूं, साधारण लोगों में मेरा उठना-बैठना है। इस देश में कभी मुझे परदेसी होने का भाव नहीं आया। अब भारत ही मेरा देश है।

मेरा मानना है कि जन्म लेने से ही कोई देश किसी का नहीं हो जाता है। देश को प्रेम करने वाले का देश होता है। मेरा भरोसा है कि इस देश के कई लोग ऐसे हैं जिनसे कहीं ज्यादा इस देश को मैं प्यार करती हूं। मुझे पता है कि यूरोपियन यूनियन की नागरिकता मिलने या अमेरिका से ग्रीन कार्ड मिलने के बाद कई देशप्रेमी इस देश को छोड़ देंगे। मेरे पास सब है, लेकिन मैंने इस मुल्क के प्रति अपने प्रेम के कारण वह सब त्याग दिया है। अगर भारत के प्रति मेरे प्रेम का अगर कोई भी मूल्य है तो इस देश में रहने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी।

(लेखिका जानी-मानी साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सहनशीलता

हम बहुधा देखते हैं कि बिजली चली जाने पर पंखा या एसी बंद होते ही ज्यादातर लोग अगले ही क्षण बेचैनी महसूस करने लगते हैं। ट्रैफिक में फंस जाने या कहीं से प्रतीक्षित खबर आने में देर हो जाने पर असहज होने लगते हैं। कभी-कभी तो पानी या खाना मिलने में विलंब हो जाने पर ही सब्र का बांध टूटने लगता है। इस तरह की अनगिनत स्थितियां हमारे दैनंदिन जीवन में घटित होती रहती हैं। ऊपरी तौर पर छोटी लगने वाली ये बातें जीवन शांति और आनंद को भंग नहीं तो कम अवश्य कर देती हैं। समय रहते इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। शुरुआत ऐसी परेशानियों को सहने की आदत विकसित करने से हो सकती है। पहले तो हमें व्यक्तिगत जीवन में संयम के महत्व को समझना होगा और फिर इसे जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों में अपनाने की आवश्यकता को जानना होगा। इसे भी एक विधा के रूप में सीखा जा सकता है और अभ्यास द्वारा इसमें पारंगत हुआ जा सकता है।

जिन लोगों को सामान्य तरीके से इसे सीखने और अभ्यास में कठिनाई हो वे इसे भी आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता से जोड़कर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रायः भक्तगण अपने आराध्य देव या गुरु के दर्शन या प्रवचन में विलंब हो जाने की स्थिति में व्याकुल तो होने लगते हैं, लेकिन परेशान नहीं होते, जबकि विलंब तो यहां भी होता है। भक्तिभाव के चलते इस विलंब से भक्त परेशान नहीं होते, बल्कि इंतजार की घड़ियों में भी पूरी श्रद्धा और तन्मयता बनाए रखते हैं। यह संभव होता है स्थिति विशेष के प्रति हमारे भाव के कारण। इसी से परेशानी और व्याकुलता के बीच के अंतर को समझने और तदंतर उसे पाटने में सहायता मिलती है। यह अवस्था जीवन में शांति और आनंदभाव को जागृत करने और उसके संवर्धन में काफी कारगर हो सकती है।

जीवन के हर पल और हर दौर का अपना महत्व है। अतः जीवन में परेशानी के क्षणों को भी आनंदित होकर जीना चाहिए। ऐसा करके ही भविष्य की सही राह तलाशी जा सकती है।

डॉ. महेश भारद्वाज

संरक्षित जल तो सुरक्षित कल

घनश्याम शाही

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं

जल सृष्टि की एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी स्थिति में नजरंदाज करना अपना सर्वनाश करना है। जल हमारे लिए इतना उपयोगी है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के किनारे ही विश्व की सभी महान सभ्यताएं विकसित हुईं। जल को प्राचीन ग्रंथों में देवता माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है-मुझ से सोमदेव ने कहा है कि जल में सभी औषधियां प्रवाहित हैं। जल में ही सर्व सुख प्रदायक अग्नि तत्व समाहित है। सभी औषधियां जल से ही प्राप्त होती हैं।

ऐसा नहीं है कि इस तरह के विचार सिर्फ भारतीय दर्शन में ही मौजूद हैं, बल्कि पाश्चात्य दर्शन में भी इस तरह के विचार बहुत पहले से लिखे जाते रहे हैं। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन में थेलीज ने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण जल को ही माना है। उन्होंने कहा था कि जल ही सबका जनक है तथा जल ही आधारभूत द्रव्य है। जल को देश के कई हिस्सों में अभी भी देवता की तरह पूजा जाता है। मध्य प्रदेश की कई जनजातियां सरोवर से पानी लेने के दौरान प्रार्थना करती हैं। राजस्थान में शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए भवाई नृत्य भी किया जाता है।

अब जब हम दैनिक, आध्यात्मिक और अपने क्रमिक विकास के लिए जल पर निर्भर हैं तो हमें मौजूदा पर्यावरण संकट को देखते हुए जल संरक्षण की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। भारत 135 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस लिहाज से जल की सबसे ज्यादा जरूरत भी आने वाले दिनों में भारत को ही होने वाली है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं तथा लगभग दो लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष प्रदूषित जल पीने से मर जाते हैं। इसके साथ ही 21 बड़े शहरों में 2020 तक पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। भारत में तकरीबन 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है, जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता वाले सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह समस्या इतनी गहरी है कि भारत का जीडीपी 2050 तक 6 प्रतिशत तक गिर सकता है।

यह समस्या धीरे-धीरे बड़े शहरों से होती हुई ग्रामीण अंचल तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण अंचल में इस समस्या का कारण है किसानों द्वारा सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर बोरिंग का प्रयोग करना। जिस कारण जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं। सरकार ने सिंचाई के सबसे बड़े साधन नहर की तरफ ध्यान देना कम कर दिया है इसलिए ही बोरिंग का उपयोग बढ़ रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय के तहत सरकार को एक जल नीति बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिसमें नदियों, तालाबों, कुओं जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की बातें होनी चाहिए। जल संरक्षण को लेकर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर संसद तक प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

कारोबार में ईमानदारी को मिले प्रोत्साहन

संजय गुप्त ने 'अर्थव्यवस्था की सुस्ती का निदान' शीर्षक से लिखे अपने लेख में भारत की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए जिस उपाय पर बल दिया है वह देश के कारोबार में ईमानदारी को प्रोत्साहित करने का है। वस्तुतः मोदी सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में देश की दो नंबरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिस नोटबंदी और जीएसटी को लागू किया था उससे मिली सफलता तब तक कारगर नहीं होगी जब तक ईमानदारी से अपना कारोबार करने वाले उद्यमियों और अधिक मुनाफे के लिए नंबर दो के रास्ते पर चलने वाले छोटे-बड़े कारोबारियों में भेद करके देश के व्यापार जगत में ईमानदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। केवल यह मान लेना कि बड़े उद्योगपति अधिक मुनाफा कमाते हैं तो उन पर टैक्स का अधिभार भी ज्यादा रखा जाए, न्यायसंगत नहीं है। इस संदर्भ में सरकार को यह देखना भी जरूरी है कि निचले स्तर पर कितने कारोबारी नंबर दो की काली कमाई के जरिये देश की अर्थव्यवस्था को कितना चूना लगा रहे हैं? इस दृष्टि से देश की कराधान व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की जरूरत है। छोटे-बड़े व्यापारी जितना माल लाते हैं उसे वे नंबर एक में बेचकर अपने मुनाफे की आय से निर्धारित टैक्स सरकार को भुगतान कर रहे हैं या नहीं, इसकी चाक-चौबंद निगरानी होनी चाहिए। इसमें फल, मिठाई, दूध आदि का कारोबार करने वाले वे व्यापारी भी सम्मिलित होने चाहिए जो अपने इस मामूली से दिखने वाले कारोबार से भी लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन सरकार को अपनी आय अथवा बिक्री के सापेक्ष टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। यद्यपि मोदी सरकार बहुत तेजी से नंबर एक की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए कारोबारियों को भी स्वेच्छा से सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के उद्योग-व्यापार जगत में पूर्णरूपेण एक नंबर की अर्थव्यवस्था लागू होने पर ही यह देश सोने की चिड़िया बन सकेगा।

pandeyvp1960@gmail.com

मातृ भाषा में स्वस्थ चिंतन

दैनिक जागरण के 01 अगस्त के अंक में प्रकाशित शंकर शरण का लेख, भारतीय भाषाओं के समक्ष बड़ी चुनौती, पढ़ा। इसमें मातृभाषा हिंदी के महत्व को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। यह बात सही है कि अपनी मातृ भाषा में ही स्वस्थ चिंतन किया जा सकता है। यदि अपनी भाषा का पतन होगा तो परिणामस्वरूप समाज में सांस्कृतिक एवं नैतिक पतन भी अवश्य ही होगा, जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है। जिन-जिन देशों ने अपनी भाषा में शिक्षा पर जोर दिया उन देशों की हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उन्नति हुई। लेख पाठकों को अपनी भाषा के साहित्य को पढ़ने-पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है एवं ऐसे लोगों की आंख खोलने वाला है जो अपनी मातृभाषा के प्रति विमुख हो रहे हैं और अज्ञानवश विदेशी भाषा को शिक्षा एवं दैनिक जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं।

विकास सैनी, नजफगढ़, दिल्ली

दल-बदल की रणनीति

नेताओं का आजकल किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से लेना देना नहीं है। जिधर फायदा दिखाई देता है पाला बदल लेते हैं। पार्टी, विधानसभा एवं संसद की सदस्यता तक छोड़ कर सब भाजपा की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि आज भाजपा सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में सामने आई है। सभी जगह चुनाव जीत रही है। भाजपा में शामिल होने वाले नेता अगला चुनाव ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे हैं। यहां विचारधारा नहीं, यह चुनाव जीतने की रणनीति है। जो आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं अगर उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया या कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी तो वे वहां से भागने में भी देर नहीं लगाएंगे।

अशोक नाथ झा, ग्रेटर नोएडा

ध्वनि प्रदूषण

स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति ने हमें सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन युक्त हवा, पर्याप्त जल एवं नींद अनुपम उपहार के रूप में प्रदान की है। परंतु मानव की बढ़ती संख्या एवं महती आकांक्षाओं ने वायु एवं जल को अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। ऊपर से रही सही कसर ध्वनि प्रदूषण पूरी कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण को तुरंत रोकने की आवश्यकता है।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।